

# कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

—: विज्ञापन :—

क्रमांक/1489/जि.पं./श.क.भर्ती/2011

राजनांदगांव, दिनांक 25/05/2011

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर के ज्ञापन क्र./ पंचा. -3719(2)/पंग्रावि/22/2011/476, दिनांक 28/04/2011 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्म (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2007 तथा समय-समय यथा संशोधित नियमों के अधीन जिले में स्कूल शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित शालाओं/संस्थाओं में शिक्षाकर्मि वर्ग-01 एवं 02 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

**आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि- 08.06.2011**

## शिक्षाकर्मि वर्ग-एक

क्र.	विषय का नाम	(अ)				(ब)				(स)				(द)				(इ)			
		कुल पद श्रेणीवार				कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या				कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से विकलांग वर्ग के लिए पदों की संख्या				कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों की संख्या				कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से मुक्त वर्ग के लिए पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OB C	U R	S C	ST	OB C	U R	S C	S T	O B C	U R	S C	S T	O B C	U R	SC	ST	O B C
1	हिन्दी	11	2	5	3	3	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	6	2	3	2
	बैकलाग (हिन्दी)	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	अंग्रेजी	20	5	10	7	5	1	3	1	1	0	0	1	2	0	1	1	12	4	6	4
	बैकलाग (अंग्रेजी)	1	6	38	0	0	2	11	0	1	2	2	0					0	2	25	0
3	संस्कृत	24	6	10	6	6	1	3	2	1	1	0	0	2	1	1	1	15	3	6	3
	बैकलाग (संस्कृत)	2	7	24	6	0	2	7	2	2	1	1	1					0	4	16	3
4	गणित	18	4	10	5	4	1	3	1	2	0	0	0	2	0	1	0	10	3	6	4
	बैकलाग (गणित)	3	7	35	3	0	2	10	1	3	2	2	1					0	3	23	1
5	भौतिकशास्त्र	4	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1
	बैकलाग (भौतिक)	2	2	19	0	0	0	6	0	2	1	1	0					0	1	12	0
6	रसायनशास्त्र	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	बैकलाग (रसायन)	1	1	18	0	0	0	5	0	1	1	1	0					0	0	12	0
7	जीवविज्ञान	20	3	12	5	5	1	3	2	1	0	1	0	2	0	1	0	12	2	7	3
	बैकलाग (जीवविज्ञान)	2	2	12	1	0	0	4	0	2	1	1	1					0	1	7	0
8	वाणिज्य	9	3	3	2	2	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	6	1	2	2
	बैकलाग (वाणिज्य)	0	4	19	1	0	1	6	0	0	1	1	1					0	2	12	0
9	कृषि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	बैकलाग (कृषि)	9	3	4	2	3	1	1	0	0	1	0	0					6	1	3	2
10	इतिहास	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1
	बैकलाग (इतिहास)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0					0	0	0	0
11	राजनीतिशास्त्र	5	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	1
	बैकलाग (राजनीति)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0					0	0	0	0
11	अर्थशास्त्र	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1

2	बैकलांग (अर्थशास्त्र)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0					0	0	0	0
1	भूगोल	3	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1
3	बैकलांग (भूगोल)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0					0	0	0	0
1	गृहविज्ञान	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	बैकलांग (गृहविज्ञान)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	1	0	0
1	उर्दू	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	योग	122	25	59	34	28	5	15	7	10	2	1	1	11	1	4	2	73	17	39	24
	योग-बैकलांग	20	39	170	14	3	8	50	3	11	15	10	4	0	0	0	0	6	16	110	7

## शिक्षाकर्मी वर्ग-दो

क्र.	विषय का नाम	(अ)				(ब)				(स)				(द)				(इ)			
		कुल पद श्रेणीवार				कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या				कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से विकलांग वर्ग के लिए पदों की संख्या				कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों की संख्या				कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से मुक्त वर्ग के लिए पदों की संख्या			
		U R	SC	ST	OB C	U R	S C	ST	O B C	U R	SC	S T	OB C	U R	S C	S T	O B C	U R	S C	S T	O B C
1	हिन्दी साहित्य	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	बैकलांग (हिन्दी साहित्य)	1	1	2	2	0	0	0	0	1	1	1	0					0	0	1	2
2	अंग्रेजी साहित्य	37	8	19	11	9	2	5	3	2	1	0	1	3	1	2	1	23	4	12	6
	बैकलांग (अंग्रेजी साहित्य)	4	16	42	1	0	5	13	0	4	2	3	1					0	9	26	0
3	संस्कृत साहित्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	बैकलांग (संस्कृत साहित्य)	0	1	4	1	0	0	1	0	0	1	1	0					0	0	2	1
4	गणित	27	5	16	8	7	2	4	2	2	0	1	1	3	0	2	1	15	3	9	4
	बैकलांग (गणित)	0	3	71	2	0	0	21	0	0	3	2	2					0	0	48	0
5	जीवविज्ञान	26	5	15	8	6	2	4	2	2	0	1	0	3	0	2	1	15	3	8	5
	बैकलांग (जीवविज्ञान)	2	5	2	1	0	0	0	0	2	4	2	1					0	1	0	0
6	सा.विज्ञान	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7	शारीरिक शिक्षा	8	2	3	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	2	2	2
	योग	91	18	51	27	22	6	13	7	6	1	2	2	9	1	6	3	54	10	30	15
	योग-बैकलांग	7	26	121	7	0	5	35	0	7	11	9	4	0	0	0	0	0	10	77	3

टीप :- 1. - UR= अनारक्षित, SC= अनुसूचित जाति, ST= अनुसूचित जनजाति, OBC= अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), 2- रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है, जिसके लिए जिला पंचायत का निर्णय अंतिम होगा।, 3 - विज्ञापित पदों की संख्या में बैकलांग के रिक्त पद सम्मिलित हैं।, 4- उपरोक्त पदों में प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार प्रत्येक संवर्ग के महिला (30%), भूतपूर्व सैनिक (10%) एवं विकलांग (6%) के लिए समस्तर आरक्षण रहेगा। महिला एवं भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी संवर्ग के मुक्त वर्ग के अभ्यर्थियों से चयन किया जावेगा।

**विभागीय नियम एवं शर्तें :-**

**[1] कार्यालय जिला पंचायत में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि – 08 जून 2011.**

**[2] वेतनमान रूपये :-** शिक्षाकर्मि वर्ग-01 के लिए – वेतनमान 5300-150-8300,  
शिक्षाकर्मि वर्ग-02 के लिए – वेतनमान 4500-125-7000

**[3] आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-** शिक्षाकर्मि वर्ग-1 के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष एवं बी.एड. उत्तीर्ण। शिक्षाकर्मि वर्ग-2 के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय समूह में स्नातक (हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत साहित्य होना अनिवार्य है) एवं बी.एड. उत्तीर्ण। बी.एड. के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शैक्षिक अर्हता से छूट मानी जायेगी। शिक्षाकर्मि वर्ग 02 (शारीरिक शिक्षा)के लिये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण।

3.1 आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।, 3.2 कोई भी उम्मीदवार, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।, 3.3 कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।, 3.4 छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। (कार्यरत शासकीय/अर्धशासकीय/निगम/मण्डल के सेवकों को नियमानुसार छूट की पात्रता रहेगी।

**[4] आयु-सीमा :-** दिनांक 30 जून, 2011 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। महिला एवं विकलांगों के लिए नियमानुसार आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी। छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए समय-समय पर आयु-सीमा में प्रदान की गई सभी प्रकार की छूट शिक्षाकर्मियों के लिए भी लागू होगी।

**[5] भर्ती का तरीका :-**

**5.1-** शिक्षाकर्मियों की मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती के लिए आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता अर्थात् 12 वी., स्नातक, स्नातकोत्तर एवं बी.एड. में प्राप्त अंकों के आधार पर अधिमान्यता दी जायेगी –

**5.1.1 –** शिक्षाकर्मि वर्ग 01 की नियुक्ति के लिए स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 20 अंक, स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 50 अंक तथा बी.एड. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 30 अंक।

**5.1.2 –** शिक्षाकर्मि वर्ग 02 की नियुक्ति के लिए 12 वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 20 अंक, स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 50 अंक तथा बी.एड. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 30 अंक।

**5.2 –** चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला पंचायत के छानबीन समिति का होगा।, **5.3 –** चयनित उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन/कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।, **5.4 –** चयनित उम्मीदवार को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा।, **5.5 –** यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।, **5.6 –** चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी।

**[6] आवेदन पत्र जमा करने की विधि :-**

1. शिक्षाकर्मि वर्ग 01 एवं वर्ग 02 हेतु पृथक-पृथक आवेदन करें। 2. इस कार्यालय द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में ही ए-4 साईज पेपर में आवेदन करें। 3. आवेदक को लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में आवेदित पद, वर्ग एवं विषय का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। 4. अभ्यर्थी आवेदन पत्र विधिवत भरने के पश्चात् "मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राजनांदगांव, को पंजीकृत (रजिस्ट्री-पत्र)/स्पीड-पोस्ट/कोरियर से प्रेषित करेंगे। 5. सीधे आवेदन-पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपने आवेदन के साथ दो स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा भी संलग्न करेंगे, जिसमें से एक लिफाफा में 22/- रु. मूल्य का टिकट एवं एक लिफाफा में 5/- रु. मूल्य का टिकट चस्पा करेंगे। अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

➤ आवेदन पत्र में दी गई जानकारी असत्य पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।



11. पत्राचार का पता – .....

.....

.....

12. स्थायी पता – .....

.....

.....

13. यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल में सेवारत है तो निम्नलिखित प्रारूप को भरें एवं नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न करें) –

कार्यरत पद का नाम	कार्यालय का नाम	कार्यरत अवधि कब से कब तक
1	2	3
		.....से .....
		(कुल अवधि) .....

14. वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित) – .....

15. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि – ....., बच्चों की संख्या – .....  
सभी बच्चों की जन्मतिथि – .....

(सरपंच/पार्षद द्वारा जारी विवाह एवं जीवित संतान प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें एवं विवाहित महिला अभ्यर्थी शपथपत्र प्रस्तुत करें)

16. अभ्यर्थी का घोषणा-पत्र –

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त फार्म में बिन्दु क्रमांक 01 से 15 तक की दी गई सम्पूर्ण जानकारी सत्य है। किसी भी प्रकार की गलती या गलत जानकारी के कारण मुझे चयन प्रक्रिया से निष्काषित किया जा सकता है एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मैंने यह आवेदन सम्पूर्ण विज्ञापन को पढ़कर एवं समझकर भरा है। विज्ञापन में दिये गए नियमों के अनुसार मुझे शिक्षाकर्मी वर्ग .., विषय ..... के पद पर आवेदन करने की पात्रता है, जिसे आवश्यकता होने पर प्रमाणित करने की, सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है।

स्थान :- .....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

दिनांक :- .....

नाम – .....

**नोट- विज्ञापन प्रकाशन दिनांक के बाद अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी । उपरोक्त कंडिकाओं से संबंधित प्रमाण-पत्र ही संलग्न करें ।**

[8] आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विज्ञापन की प्रति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग, राजीव गांधी शिक्षा मिशन एवं जिला पंचायत राजनांदगांव के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है,। इसे जिला पंचायत राजनांदगांव के वेबसाईट [www.zprajnandgaon.gov.in](http://www.zprajnandgaon.gov.in) एवं [www.rajnandgaon.gov.in](http://www.rajnandgaon.gov.in) पर देखा जा सकता है तथा विज्ञापन एवं आवेदन पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।